भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1685

08 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत

1685. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए ग्रामीणों द्वारा इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने और इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम तक करने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क): इस्पात मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में इस्पात के उपयोग और खपत को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कई बार विचार-विमर्श किए। इस्पात मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात को प्रोत्साहन देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध हितधारकों के साथ दिनांक 20.10.2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया था। अनुमानित लागत के साथ इस्पात की संरचना वाले आवास विन्यासों के मानकीकृत डिजाइन और ले-आउट, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-जी) वाले घरों में अपनाया गया है, को विकसित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया। इस्पात सीपीएसई अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने ग्रामीण विक्रेताओं को नियुक्त किया है और विभिन्न गतिविधियों में भी लगे हुए हैं, जिनका विशिष्ट रूप से लक्ष्य ग्रामीण भारत को इस्पात के उपयोग के बारे में समझाना है।

(ख): राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में वित्त वर्ष 2030-31 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 30 करोड़ टन तक करने, इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 160 किलोग्राम तक बढ़ाने और औसत सीओ2 उत्सर्जन की तीव्रता को कम करके 2.4 टी/टीसीएस करने की परिकल्पना की गई है। इस्पात उत्पादन की क्षमता,

इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत और ग्रीन हाउस गैस (सीओ2) उत्सर्जन में कमी का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	**कच्चे इस्पात की क्षमता**	**कुल तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत**	**विशिष्ट सीओ2 उत्सर्जन**
	(एमटी)	**(किग्रा)**	**(टी/टीसीएस)**
2018-19	142.24	74.4	2.65
2019-20	142.30	74.7	2.63
2020-21	143.91	70	2.60
2021-22 (अप्रैल-नवंबर 2021)	148.91	72.3	-
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी= मिलियन टन			

सरकार ने इस्पात उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।
ii. घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।
iii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को जारी करना।
iv. इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।
v. 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
vi. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।
vii. देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संगत हितधारकों के साथ सहभागिता।
viii. इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

****